

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 610-तीन/08

जिला - रीवा

स्थान तथा दिनांक


कार्यवाही तथा अधिस

माफिकर से
अनुवृत्ति आदेश के
एकतम

24.6.14

समय दोपहर
12.00 बजे


आवेदक के अधिवक्ता एवं आवेदक श्री उमाशंकर तिवारी तनय श्री
काशीप्रसाद तिवारी निवासी टिकुरी तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0 दिनांक
20.12.13 से अनुपस्थित हैं उनको आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं
।


सदस्य

प्रकरण पुनः 3.00 बजे प्रस्तुत ।

समय दोपहर
3.00 बजे

आवेदक के अधिवक्ता एवं आवेदक श्री उमाशंकर तिवारी तनय श्री
काशीप्रसाद तिवारी निवासी टिकुरी तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0 दिनांक
20.12.13 से अनुपस्थित हैं उनको आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं
।


सदस्य

प्रकरण पुनः 5.00 बजे प्रस्तुत ।

शाम 5.00 बजे

आवेदक के अधिवक्ता एवं आवेदक श्री उमाशंकर तिवारी तनय श्री
काशीप्रसाद तिवारी निवासी टिकुरी तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0 दिनांक
20.12.13 से अनुपस्थित हैं उनको आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं
।

अतः म0प्र0मू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 35 (2) के अंतर्गत
प्रकरण आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक के अनुपस्थित होने के कारण
प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है



(अशोक शिवहरे)

सदस्य

न्यायपालिकाको मातृ संस्था मन्त्रालय मध्य प्रदेश राजस्थान मन्त्रालय

निगरानी प्रकरण क्र 108

22/05/08 - चतुर्थी
राजस्थान दि. 22/05/08 का प्रस्ताव
अवर सचिव
राजस्थान मन्त्रालय प्र. प्र. अ. लि. 108



R 610-III/108

22-5-08

श्री उमाशंकर तिवारी तनय श्री काशी प्रसाद तिवारी उम्र 66 साल पेशा
लेखी व सेवा निवृत्त कर्मचारी निवासी ग्राम टिकुरी, तहसील दुहूर, जिला
रीवा म०प्र०

----- आदेशक

विरुद्ध

- 1- आम जनतः टिकुरी द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत टिकुरी, विकास मन्ड
रायपुर कञ्जलियात, जिला रीवा म०प्र०
- 2- श्रीरामाधार तिवारी तनय श्री तेजकुमार तिवारी उम्र 60 साल पेशा लेखी
व प्राइवेट नौकरी निवासी ग्राम टिकुरी, तहसील दुहूर, जिला रीवा म०प्र०
- 3- डी० पी० आइया जिला अध्यापक महोदय रीवा
- 4- श्री प्रभाशंकर शिवाजी तहसीलदार तहसील दुहूर, जिला रीवा म०प्र०

----- अनावेदनपत्र

(Sukhadiya)
राजस्थान मन्त्रालय

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश अपर आयुक्त
रीवा संभाग रीवा दिनांक 25-2-08 को अपील
प्रकरण क्र 452/ अपील/ 07-08 से पारित किया
गया है, अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० पूरास्व संहिता
स 1959ई०

आवेदनपत्र वाक्य माननीय न्यायालय के आदेश
दिनांक 29-2-08 के जो राजस्थान निगरानी प्रकरण क्र
में पारित किया गया हैकी अवमानना के संबंध में

(Sukhadiya)

(Signature)